

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या
12/21/2025

रजिस्टर्ड नंबर
2025/273

प्रवेश तिथि
04.03.2025

निर्णय दिनांक
07.01.2026

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री मुनफैद खान पुत्र शरीफ खान, निवासी धोली दूब, अलवर राज0 ।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 13 घरेलू गैस सिलेण्डर, रेग्यूलैटर मय पाईप एवं 1 गैस रिफिलिंग मोटर को राजसात करने बाबत ।

उपस्थिति :-

1. प्रवर्तन अधिकारी

—विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय :-

प्रवर्तन अधिकारी अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 13 घरेलू गैस सिलेण्डर, रेग्यूलैटर मय पाईप एवं 1 गैस रिफिलिंग मोटर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6"ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 07.02.2025 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री अमित कुमार यादव, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग की जांच हेतु मुनफैद खान पुत्र शरीफ खान, निवासी धोली दूब, अलवर के चौहान साथ गैस सर्विस, मस्जिद के पास, टॉस्पोर्ट नगर, अलवर स्थित परिसर पर पहुंचे।

मौके पर मुनफैद खान पुत्र शरीफ खान, निवासी धोली दूब, अलवर उपस्थित मिले। मुनफैद खान पुत्र शरीफ खान की दुकान पर 13 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 रेग्यूलैटर मय पाईप एवं 1 गैस रिफिलिंग मोटर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। मुनफैद खान पुत्र शरीफ खान वक्त जांच घरेलू/व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि मुनफैद खान पुत्र शरीफ खान के द्वारा घरेलू सिलेण्डर व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 13 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 रेग्यूलैटर मय पाईप एवं 1 गैस रिफिलिंग मोटर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया।

मौके पर उक्त कब्जेराज 13 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 रेग्यूलैटर मय पाईप एवं 1 गैस रिफिलिंग मोटर को मै० ज्योति गैस, अलवर के प्रतिनिधि श्री दिगम्बर सिंह पुत्र श्री हरफूल सिंह, ग्राम भगवानपुरा, तिजारा रोड, अलवर को सुपुर्द किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 13 घरेलू गैस सिलेण्डर, रेग्यूलैटर मय पाईप एवं 1 गैस रिफिलिंग मोटर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी को जरिये रजि० नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता बावजूद रजि० तलबी/तामील के अनुपस्थित।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, फर्द जब्ती, फर्द सुपुर्दगीनामा और प्रवर्तन अधिकारी के प्रतिवेदन का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर चिंतन-मनन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी मुनफैद खान पुत्र शरीफ खान के चौहान साब गैस सर्विस, मस्जिद के पास, ट्रॉस्पॉर्ट नगर, अलवर स्थित परिसर पर 13 घरेलू गैस सिलेण्डर, रेग्यूलैटर मय पाईप एवं 1 गैस रिफिलिंग मोटर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डर व अन्य उपकरणों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी के द्वारा उक्त घरेलू सिलेण्डरों व अन्य उपकरणों का व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6-ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6-ए स्वीकार किया जाता है, 13 घरेलू गैस सिलेण्डर, रेग्यूलैटर मय पाईप एवं 1 गैस रिफिलिंग मोटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 13 घरेलू गैस सिलेण्डर, रेग्यूलैटर मय पाईप एवं 1 गैस रिफिलिंग मोटर को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को अदालत द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)